<u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—1234 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक—24.12.2013</u> <u>फाईलिंग क.234503000322013</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — — <u>अभियोजन</u>

1—प्रतापसिंह पिता धीरपाल सिंह धुर्वे, उम्र—23 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम भिमोड़ी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—धीरपाल पिता दशरथ सिंह धुर्वे, उम्र—43 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम भिमोड़ी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—गुल्लोबाई पति धीरपाल, उम्र—40 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम भिमोड़ी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — — — अा

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-17/05/2016 को घोषित)</u>

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498 ए एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—01.08..2013 से दिनांक—13.11.2013 तक थाना बैहर अंतर्गत ग्राम भिमोड़ी में फरियादी हेमलताबाई के पित एवं सास—ससुर होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी हेमलताबाई के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कर, फरियादी हेमलताबाई से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से धान चक्की, मोटरसाईकिल, दो एकड़ जमीन की मांग की।

- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हेमलताबाई ने दिनांक—13.11.2013 को पुलिस थाना बैहर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम भिमोड़ी में रहती थी। उसका विवाह कुछ वर्ष पूर्व आरोपी प्रतापसिंह के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय तक उसके पति और सास—ससुर ने उसे अच्छे से रखा। उसके बाद उसे कम दहेज लाने की बात को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक—31.10.2013 को उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया। उसके बाद वह अपने मायके ग्राम बन्ना में रहती है। उपरोक्त आधार पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्मांक—159/13, भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498(ए) का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का ईजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ़तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498(ए) एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—01.08..2013 से दिनांक—13.11.2013 तक थाना बैहर अंतर्गत ग्राम भिमोड़ी में फरियादी हेमलताबाई के पति एवं सास—ससुर होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी हेमलताबाई के साथ दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हेमलताबाई से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से धान चक्की, मोटरसाईकिल, दो एकड जमीन की मांग की ?

विचारणीय बिन्दु कमाक-1 व 2 का निष्कर्ष :-

- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी हेमलताबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि आरोपी प्रताप उसका पति है तथा शेष आरोपीगण उसके पति के माता-पिता हैं। उसका आरोपी प्रताप से एक वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। घर जाने की बात को लेकर उसका अपने पति से विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बैहर में दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने विवाह कार्ड आर्टिकल ए-1 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के माध्यम से जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उसे कम दहेज लाने की बात को लेकर गाली-गलौज कर प्रताड़ित करते थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसे मोटरसाईकिल एवं दो एकड़ जमीन लेने की बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी ने उसे दिनांक-31.10.2013 को उसे मारपीट कर उसे घर से भगा दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में पुलिस ने क्या लेख किया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है।
- 6— अभियोजन साक्षी हीरमतबाई (अ.सा.2) ने अपने कथन में कहा है कि आरोपी प्रताप उसका दामाद है। आरोपीगण का उसकी पुत्री से घर आने की बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण दहेज की बात को लेकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते थे और उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण और उसकी पुत्री का आपस में राजीनामा हो गया है।
- 7— अभियोजन साक्षी अरविन्द ज्योतिषी (अ.सा.३) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—13.11.2013 को थाना बैहर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी हेमलताबाई की मौखिक सूचना के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। दिनांक—14.11.2013 को घटनास्थल जाकर साक्षी पूरनलाल की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी हेमलताबाई तथा साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक—13.11.2013 को ही साक्षी चन्द्रशेखर, श्याम के समक्ष हेमलताबाई से पीले रंग का विवाह कार्ड जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवाह का कार्ड आर्टिकल ए—1 है। दिनांक—21.12.2013 को आरोपी प्रताप, हिरपाल एवं गुल्लोबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 से लगायत प्रदर्श पी—8 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किये थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण से रंजिश होने के कारण उसने आरोपीगण को झुठा फंसाया है।

- 8— प्रकरण में फिरियादी हेमलताबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि उसका मायके जाने की बात को लेकर आरोपीगण से उसका विवाद हुआ था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया है कि दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस आशय का कथन अभियोजन साक्षी हीरमतबाई (अ.सा.2) ने भी किया है और कहा है कि मायके आने की बात को लेकर उसकी पुत्री का आरोपीगण से विवाद हुआ था। उपरोक्त दोनों ही साक्षियों ने आरोपीगण से राजीनामा होने की बात अपने न्यायालयीन परीक्षण में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498(ए) एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषध अधिनियम का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपीगण को उपरोक्त धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 9— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 10— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा—428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार

किया जाये।

11— प्रकरण में जप्तशुदा विवाह पत्रिका मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील अवधि पश्चात् अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे ।

ATTENDED LA STATE OF STATE OF

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk{kfjr o दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर, दिनांक—17.05.2016 (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट